



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2014/आषाढ 17, 1936

No. 348]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2014/ASADHA 17, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 23 मई, 2014

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवाँ संशोधन)
विनियमावली, 2014**

सा.का.नि. 435(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवाँ संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम में संशोधन:—

विनियम 9 में, उप-विनियम (1) में,

(ए) खंड (i) में, "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों में निर्धारित बाजार कीमत" शब्द "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों में प्रचलित बाजार कीमत" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(बी) मौजूदा खंड (ii) और (iii), निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात्: —

(ii) किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी के ईक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों के मामले में उस कीमत से अधिक नहीं जो, संलिप्ति के बिना, शेयरों की कीमत निर्धारण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गई किसी प्रणाली के आधार पर आकलित एवं किसी सनदी लेखाकार अथवा सेबी रजिस्टर्ड किसी मर्चेन्ट बैंकर द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई हो। इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा कि किसी अनिवासी निवेशक को ऐसा निवेश/करार करते समय उससे बाहर जाने (exit) के समय पर किसी आश्वासित कीमत का वादा न किया जाए और निवेश से बाहर जाते समय, अवरुद्धता अवधि की अपेक्षा संबंधी शर्त के अधीन, वह प्रचलित कीमत पर निवेश से बाहर जा सकता है।"

3. अनुसूचियों में संशोधन

(i) अनुसूची 1 में,

(ए) पैराग्राफ 5 में, मौजूदा खंड (बी) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बी. जहां कंपनी के शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध न हों, शेयरों की कीमत का निर्धारण, संलिप्ति के बिना, शेयरों की कीमत निर्धारण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गई किसी प्रणाली के आधार पर किया गया हो जिसे किसी सनदी लेखाकार अथवा सेबी रजिस्टर्ड किसी मर्चेन्ट बैंकर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो; और"

(बी) पैराग्राफ 5 में से, खंड "सी", हटाया जाएगा।

(ii) अनुसूची 2 में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (5) में, परंतुक में, मौजूदा खंड (बी) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(बी) निजी नियोजन (private placement) के द्वारा निर्गम के मामले में, कीमत सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित कीमत से कम न हो अथवा संलिप्ति के बिना, शेयरों की कीमत निर्धारण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गई किसी कीमत निर्धारण प्रणाली के आधार पर आकलित उचित कीमत से कम न हो, जिसे सेबी रजिस्टर्ड किसी मर्चेन्ट बैंकर अथवा किसी सनदी लेखाकार, यथा लागू, द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।"

(iii) अनुसूची 2ए में, पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (iv) में, परंतुक में, मौजूदा खंड (बी) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(बी) निजी नियोजन (private placement) के द्वारा निर्गम के मामले में, कीमत सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित कीमत से कम न हो अथवा संलिप्ति के बिना, शेयरों की कीमत निर्धारण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गई किसी कीमत निर्धारण प्रणाली के आधार पर आकलित उचित कीमत से कम न हो, जिसे सेबी रजिस्टर्ड किसी मर्चेन्ट बैंकर अथवा किसी सनदी लेखाकार, यथा लागू, द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।"

[सं. फेमा 306/2014-आर बी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ), द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ), दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 851(अ), दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 175(अ), दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 341(अ), दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 182(अ), दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 821(अ), दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 4(अ), दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 606(अ), दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 574(अ), दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 795(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 223(अ), दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 796(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 225(अ), दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 797(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 558(अ), दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 945(अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 835(अ), दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 946(अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 38(अ), दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 12(अ), दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 515(अ), दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 278(अ), दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 532(अ), दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 454(अ), दिनांक 16.07.2004	सा.का.नि. सं. 341(अ), दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 625(अ), दिनांक 21.09.2004	सा.का.नि. सं. 344(अ), दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 799(अ), दिनांक 08.12.2004	सा.का.नि. सं. 195(अ), दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 201(अ), दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 393(अ), दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 202(अ), दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 591(अ), दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 504(अ), दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 596(अ), दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 505(अ), दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 597(अ), दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 513(अ), दिनांक 29.07.2005	सा.का.नि. सं. 681(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 738(अ), दिनांक 22.12.2005	सा.का.नि. सं. 682(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 29(अ), दिनांक 19.01.2006	सा.का.नि. सं. 805(अ), दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 11.07.2006	सा.का.नि. सं. 818(अ), दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 712(अ), दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 683(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 713(अ), दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 189(अ), दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 737(अ), दिनांक 29.11.2007	सा.का.नि. सं. 190(अ), दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 575(अ), दिनांक 05.08.2008	सा.का.नि. सं. 270(अ), दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 896(अ), दिनांक 30.12.2008	

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, 23rd May, 2014

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India)
(Seventh Amendment) Regulations, 2014**

G.S.R. 435(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby

makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:—

1. Short Title & Commencement:—

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Seventh Amendment) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation:—

In Regulation 9, in sub-regulation (1),

(a) in clause (i), for the words “market price determined on the floor of the recognised stock exchanges” the words “market price prevailing on the floor of the recognised stock exchanges” shall be substituted;

(b) the existing clauses (ii) and (iii), shall be substituted by the following, namely:—

“(ii) In case of equity shares, preference shares or debentures of unlisted company, at a price not exceeding that arrived at as per any internationally accepted pricing methodology for valuation of shares on arm’s length basis, duly certified by a Chartered Accountant or a SEBI registered Merchant Banker. The guiding principle would be that the non-resident investor is not guaranteed any assured exit price at the time of making such investment/agreements and shall exit at the price prevailing at the time of exit, subject to lock-in period requirement.”

3. Amendment of Schedules

(i) In Schedule 1,

(a) in paragraph 5, the existing clause (b) shall be substituted by the following, namely:-

"b. the valuation of shares done as per any internationally accepted pricing methodology for valuation of shares on arm’s length basis, duly certified by a Chartered Accountant or a SEBI registered Merchant Banker where the shares of the company are not listed on any recognised stock exchange in India; and "

(b) in paragraph 5, clause (c), shall be omitted.

(ii) In Schedule 2, in paragraph 1, in sub-paragraph (5), in proviso, the existing clause (b) shall be substituted by the following, namely:—

“(b) in case of issue by private placement, the price is not less than the price arrived in terms of SEBI guidelines or not less than the fair price worked out as per any internationally accepted pricing methodology for valuation of shares on arm’s length basis, duly certified by a SEBI registered Merchant Banker or Chartered Accountant, as applicable.”

(iii) In Schedule 2A, in paragraph 2, in sub-paragraph (iv), in proviso, the existing clause (b) shall be substituted by the following, namely:-

“(b) in case of issue by private placement, the price is not less than the price arrived in terms of SEBI guidelines or not less than the fair price worked out as per any internationally accepted pricing methodology for valuation of shares on arm’s length basis, duly certified by a SEBI registered Merchant Banker or Chartered Accountant, as applicable.”

[No. FEMA 306/2014-RB]

C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:—The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 158(E), dated 02.03.2001

G.S.R. No. 175(E), dated 13.03.2001

G.S.R. No. 182(E), dated 14.03.2001

G.S.R. No. 4(E), dated 02.01.2002

G.S.R. No. 574(E), dated 19.08.2002

G.S.R. No. 223(E), dated 18.03.2003

G.S.R. No. 225(E), dated 18.03.2003
G.S.R. No. 558(E), dated 22.07.2003
G.S.R. No. 835(E), dated 23.10.2003
G.S.R. No. 899(E), dated 22.11.2003
G.S.R. No. 12(E), dated 07.01.2004
G.S.R. No. 278(E), dated 23.04.2004
G.S.R. No. 454(E), dated 16.07.2004
G.S.R. No. 625(E), dated 21.09.2004
G.S.R. No. 799(E), dated 08.12.2004
G.S.R. No. 201(E), dated 01.04.2005
G.S.R. No. 202(E), dated 01.04.2005
G.S.R. No. 504(E), dated 25.07.2005
G.S.R. No. 505(E), dated 25.07.2005
G.S.R. No. 513(E), dated 29.07.2005
G.S.R. No. 738(E), dated 22.12.2005
G.S.R. No. 29(E), dated 19.01.2006
G.S.R. No. 413(E), dated 11.07.2006
G.S.R. No. 712(E), dated 14.11.2007
G.S.R. No. 713(E), dated 14.11.2007
G.S.R. No. 737(E), dated 29.11.2007
G.S.R. No. 575(E), dated 05.08.2008
G.S.R. No. 896(E), dated 30.12.2008
G.S.R. No. 851(E), dated 01.12.2009
G.S.R. No. 341 (E), dated 21.04.2010
G.S.R. No. 821 (E), dated 10.11.2012

G.S.R. No. 606(E), dated 03.08.2012
G.S.R. No. 795(E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 796(E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 945(E), dated 31.12.2012
G.S.R. No. 946(E), dated 31.12.2012
G.S.R. No. 38(E), dated 22.01.2013
G.S.R. No. 515(E), dated 30.07.2013
G.S.R. No. 532(E), dated 05.08.2013
G.S.R. No. 341(E), dated 28.05.2013
G.S.R. No. 344(E), dated 29.05.2013
G.S.R. No. 195(E), dated 01.04.2013
G.S.R. No. 393(E), dated 21.06.2013
G.S.R. No. 591(E), dated 04.09.2013
G.S.R. No. 596(E), dated 06.09.2013
G.S.R. No. 597(E), dated 06.09.2013
G.S.R. No. 681(E), dated 11.10.2013
G.S.R. No. 682(E), dated 11.10.2013
G.S.R. No. 818(E), dated 31.12.2013
G.S.R. No. 805(E), dated 30.12.2013
G.S.R. No. 683(E), dated 11.10.2013
G.S.R. No. 189(E), dated 19.03.2014
G.S.R. No. 190(E), dated 19.03.2014
G.S.R. No. 270(E), dated 07.04.2014